एकीकृत भवन विनियम, 2017

- 14.8. केवल पंजीकृत तकनीकीविद द्वारा ही तैयार किये गये मानचित्र स्वीकार किये जायेंगे। पंजीकृत तकनीकीविद मानचित्र पर अपना नाम, पता और पंजीयन संख्या अंकित करते हुए हस्ताक्षर करेंगे।
- 14.9. इन विनियमों के तहत आवेदनकर्ता से लिये जाने वाले विभिन्न शपथ पत्र संयुक्त रूप से एक ही शपथ पत्र पर प्राप्त कर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार किये जायेगे।
- 14.10. भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा अन्य सूचना चाहे जाने पर उसे उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- 14.11. भवन अनुज्ञा की अवधि, लीजडीड में उल्लेखित अवधि या सात वर्ष जो भी कम हो, देय होगी। लीजडीड की शर्ता अनुसार निर्माण अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार निर्धारित राशि जमा करवाकर निर्माण अवधि बढवानी होगी। भवन अनुज्ञा की अवधि निर्माण पूर्ण नहीं होने पर भवन मानचित्र समिति द्वारा केवल आवेदन की कीमत एवं जांच फीस लेकर दो वर्ष के लिए बढाई जा सकेगी। बशर्ते चाही गई स्वीकृति में छोटे आंतरिक परिवर्तनों के अलावा फेरबदल नहीं दर्शाया हो।
- 14.12. निर्माण स्वीकृति जारी करने से पूर्व अनुमोदन शुल्क तथा अन्य शुल्क जो संबंधित निकाय द्वारा तय किये अनुसार लिये जायेगा।
- 14.13. मू धारक द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र अनुमोदित होने की अवस्था में मांग पत्र जिसमें विभिन्न मदों के पेटे लिये जाने वाले शुल्क व प्रभारों का विवरण हो जारी किया जावेगा। भू धारक से मांगी गई राशि संबंधित निकाय के कोष में जमा कराये जाने की सूचना संबंधित को प्रस्तुत करने की तिथि से 15 दिवस में भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की दी जावेगी।
- 14.14. निर्माण स्वीकृति जारी करने से पूर्व प्रस्तावित स्थल का कम्प्यूटर के माध्यम से रेण्डमली सलेक्टेड कनिष्ठ अभियंता द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा और मौका निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भरकर 48 घंटे के अन्दर ऑनलाईन प्रस्तुत की जायेगी।
- 14.15. बहुमंजिले भवनों में निम्न प्रावधानों की पालना आवश्यक रूप से करनी होगी :--
 - (क) रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण
 - (ख) एन.बी.सी. के प्रावधानों के अनुसार अग्निशमन एवं भूकम्परोधी प्रावधान।
 - (ग) नियमानुसार ग्रीनरी तथा प्लान्टेशन की उपलब्धता।
 - (घ) भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पार्किंग का प्रावधान।
 - (i) उपरोक्त प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकाय द्वारा भवन स्वीकृति जारी करने से पूर्व न्यूनतम 5 लाख रूपणे एवं अधिकतम 20 लाख रूपणे अमानत राशि नकद / बैंक ड्राफ्ट / बैंक गारन्टी के रूप में भवन निर्माता को जमा कराने होंगे। यह राशि कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी करते समय उपरोक्त चारों प्रावधानों की पूर्ति सुनिश्चित करने के पश्चात् भवन निर्माता को लौटाई जा सकेगी।



Government of Rajasthan Department of Local Self Government Directorate of Local Bodies, Jaipur

G-3, Rajmahal Residency Area, Civil Line Phatak, 22 Godown, C-Scheme jaipur Telefax: 0141-2222403 Email- dlbrajasthan@gmail.com

File No. F.59 STP/DLB/Building-B.Laws/(41)/16/416

Dated: 06-06-2016

Office Order

Department of Local Self Government and Department of Urban Development and Housing Government of Rajasthan have launched the Online Building Plan Approval System under "Smart Raj Project". This system is launched on Single Window System Portal of Government of Rajasthan. All ULBs are hereby directed to initiate this process as under.

Under this system all processing including Application by Applicant, Deposition of Application fee, Complete processing of file by Officer In charge, Joint Site Inspection by concerned Town Planner / Engineer / Revenue Official / Fire Official / Other relevant official as per the case to case requirement, submission of joint site inspection reports and communication to the applicant regarding any observation / Demand note / final decision etc. shall be done through Online Application System and within stipulated time which is as follows:-

- 1. Putting up of file by concerning Clerk Same day.
- 2. Instruction to J.E.N. / Inspector for site inspection within one day.
- 3. Online submission of Site Inspection report within 48 hrs. after site inspection.
- 4. Matter to be forwarded to competent authority (Committee/ Commissioner / Executive Officer as the case may be) by the officer In charge for decision within 3 days.
- 5. Competent Authority to decide the matter within 15 days (maximum).
- 6. Issuance of Demand note generated through online system within 1 day after decision of Competent Authority.
- 7. Final decision to be communicated to applicant through online system within 2 days after Deposition as per Demand note and compliance of any other condition as per approval of Competent Authority.

All the concerned officials of ULBs shall adhere to the above timelines. All the ULBs are directed to adopt online System of Building Plan Approval and provide a link on their website.

(Purushottam Biyani) Director, Local Bodies cum Special Secretary File No.:- F.59. STP/DLB/Building-B. Laws/ (41) /16/417-426 Date: 06,06.20/6 Copy to the following for information:

1. PS to Additional Chief Secretary, Department of Urban Developers & Housing,

Rajasthan.

2. PS to Principal Secretary, Local Self Government Department, Rajasthan, Jaipur.

3. Joint Secretary, UDH with a request to issue directions to all Development Authorities/UITs.

4. PS to Director, Directorate of Local Bodies, Rajasthan, Jaipur.

5. Commissioner, Municipal Corporation, Bikaner/Jaipur/Jodhpur/Ajmer/Kota/Udaipur/Bharatpur.

6. Deputy Director (Regional), Bikaner/Jaipur/Jodhpur/Ajmer/Kota/Udaipur

/Bharatpur.

7. Commissioner, All, Municipal Council.

8. Executive Officer, All Municipalities.

9. System Analyst cum Joint Director, Directorate of Local Bodies, Rajasthan, Jaipur.

10. CMAR.

(R.K.Vijayvargia)
Senior Town Planner